खबरों में रहे स्टॉक

एल्केम लैबोरेटरीज

ओक्लूटेक होल्डिंग एजी के अधिग्रहण के लिए सहायिका ने किया शेयर खरीद समझौता

₹ 5,421.7 पिछला बंद भाव
₹ 5,416.7 आज का बंद भाव
-0.1 % ▼

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन

टीटीएसआईपीएल में 40% इक्विटी हिस्सेदारी लेने के लिए समझौता किया

₹ 309.9 पिछला बंद भाव
₹ 300.8 आज का बंद भाव
-2.9 % ▼

पेस डिजिटेक

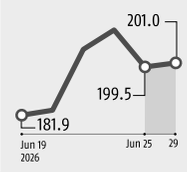

सहायक कंपनी का रोंगजी एनर्जी टेक के साथ बैटरी सेल आपूर्ति करार

₹ 199.5 पिछला बंद भाव
₹ 201.0 आज का बंद भाव
0.8 % ▲

ओमेक्स

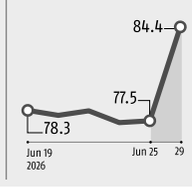

6,200 करोड़ रुपये के निवेश से समर्पित अतिथि-सत्कार कारोबार का ऐलान

₹ 77.5 पिछला बंद भाव
₹ 84.4 आज का बंद भाव
8.8 % ▲

ओबेरॉय रियल्टी

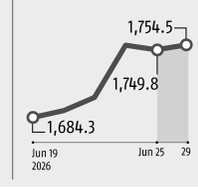

गुरुग्राम में अल्ट्रा लक्जरी परियोजना की शुरुआत का ऐलान किया

₹ 1,749.8 पिछला बंद भाव
₹ 1,754.5 आज का बंद भाव
0.3 % ▲

संक्षेप में

टेक महिंद्रा-पर्प्लेक्सिटी के बीच साझेदारी

आईटी सेवा कंपनी टेक महिंद्रा ने आज पर्प्लेक्सिटी के साथ साझेदारी का ऐलान किया। इसके तहत उसकी पूरी बिक्री प्रक्रिया में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित दक्षता को शामिल किया जाएगा। पर्प्लेक्सिटी एंटरप्राइज प्रो के इस्तेमाल से टेक महिंद्रा अपनी बिक्री टीमों को विश्वसनीय और स्रोत-आधारित जानकारी तक तेज पहुंच मुहैया कराएगी और उन्हें ग्राहकों की प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने, अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने तथा व्यावसायिक मूल्य बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। साझेदारी के तहत टेक महिंद्रा अपनी बिक्री और ग्राहकों से रूबरू होने वाली टीमों में पर्प्लेक्सिटी एंटरप्राइज प्रो की तैनाती कर रही है। इसका उद्देश्य ग्राहक साझेदारों और वरिष्ठ बिक्री अधिकारियों को व्यवसाय, उद्योग तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रासंगिक जानकारी तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करना है। टेक महिंद्रा के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक मोहित जोशी ने कहा, 'एआई उद्यमों का ग्राहकों से जुड़ने, निर्णय लेने और मूल्य सृजित करने का तरीके बदल रही है।' *बीएस*

सीमैक्स का आईपीओ मंगलवार को खुलेगा

वडोदरा स्थित सीमैक्स रिसोर्सेज मंगलवार को अपना एसएमई आईपीओ पेश करेगी, जिसके लिए मूल्य दायरा 134-141 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। एक बयान के अनुसार, 19.74 करोड़ रुपये का यह सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह से 14 लाख नए शेयरों का निर्गम है और यह 2 जुलाई को बंद होगा। *भाषा*

दिल्ली : ईवी नीति से बढ़ी चिंता

पेट्रोल-डीजल वाले दोपहिया-तिपहिया के पंजीकरण पर रोक, वाहन निर्माताओं की बढ़ेगी परेशानी

दीपक पटेल और सोहिनी दास
नई दिल्ली, 29 जून

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए अगले दो वर्षों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के नए पंजीकरण पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने की घोषणा की है। इस फैसले से प्रमुख वाहन कंपनियों में चिंता बढ़ गई है। कंपनियों को आशंका है कि अगर अन्य राज्य भी दिल्ली जैसी नीति अपनाते हैं तो उन्हें अपने नए वाहनों की लॉन्चिंग और निवेश रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।

राज्य के मंत्रिमंडल ने सोमवार को दिल्ली ईवी नीति 2.0 को मंजूरी दे दी। नीति 1 जुलाई से लागू होगी। नई नीति के तहत मजबूत हाइब्रिड कारों को कर रियायत देने का प्रस्ताव भी वापस लिया गया है जबकि मसौदा नीति में 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली मजबूत हाइब्रिड कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव था लेकिन हितधारकों से चर्चा के बाद अंतिम नीति में यह प्रावधान हटा दिया गया। अब यह लाभ केवल इलेक्ट्रिक कारों को मिलेगा।

नीति के अनुसार 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन और एन-1 श्रेणी के हल्के वाणिज्यिक वाहनों का ही नया पंजीकरण होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा, 30 लाख रुपये तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलती रहेगी।

इस नई नीति के अनुसार 1 जनवरी, 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया और एन-1 श्रेणी के हल्के वाणिज्यिक वाहनों का ही पंजीकरण होगा

देश की प्रमुख दोपहिया और तिपहिया वाहन कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि सरकार की यह घोषणा उनके लिए चौंकाने वाली रही। उनका कहना है कि उनकी बिक्री में बड़ा हिस्सा अब भी पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों का है जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी अभी सीमित है। उद्योग जगत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि दिल्ली की यह नीति अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकती है। ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव की प्रक्रिया कंपनियों की मौजूदा योजनाओं से कहीं अधिक तेज हो सकती है, जिससे उन्हें अपने भविष्य के मॉडलों और निवेश रणनीतियों की फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी एथर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तरुण मेहता ने दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति की सराहना करते हुए कहा कि इसे अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'इस नीति की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ निवेश का आकार नहीं बल्कि इस नीति की संरचना है। प्रोत्साहन राशि, चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना और चार्जिंग ढांचे का विस्तार मिलकर मजबूत आधार तैयार करते हैं। अगर दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बहुलता हो जाती है तो यह पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है।'

देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनियों में शामिल टाटा मोटर्स ने भी दिल्ली सरकार की पहल का स्वागत किया। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'दिल्ली ने एक बार फिर प्रगतिशील नेतृत्व का परिचय दिया है। यह नीति वाहन उद्योग को दीर्घकालिक दिशा देती है और भारत के इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र में भरोसा बढ़ाती है। साथ ही यह स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में अन्य राज्यों के लिए भी आदर्श बन सकती है।'

सोमवार को एक प्रेस वार्ता में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई ईवी नीति के लिए 15,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, 'इसमें से 7,000 करोड़ रुपये अगले चार वर्षों में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर खर्च किए जाएंगे जबकि 8,000 करोड़ रुपये चार्जिंग ढांचे के विकास और कर छूट जैसी सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे।'

विश्व की 4 दिग्गजों में शामिल होने पर टाटा मोटर्स की नजर

अंजलि सिंह
मुंबई, 29 जून

टाटा मोटर्स का लक्ष्य वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली दुनिया की शीर्ष चार कंपनियों में शामिल होने का है। वह इटली के इवेको ग्रुप के प्रस्तावित अधिग्रहण पर आगे बढ़ रही है। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कहना है कि इस संयुक्त कारोबार से अगले पांच साल के दौरान सालाना राजस्व मौजूदा करीब 25 अरब डॉलरसे बढ़कर 35 से 40 अरब डॉलर हो जाने की उम्मीद है। इससे कंपनी का वैश्विक विस्तार और तकनीकी क्षमताएं काफी मजबूत होंगी।

सोमवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के बीच चंद्रशेखरन ने इस अधिग्रहण को टाटा मोटर्स की अंतरराष्ट्रीय विस्तार रणनीति में अहम कदम बताया। चंद्रशेखरन ने कहा, 'इवेको ग्रुप का यह प्रस्तावित अधिग्रहण आपकी कंपनी की वैश्विक महत्त्वकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम है।' उन्होंने कहा, 'एक साथ मिलकर हम वैश्विक स्तर पर शीर्ष चार वाणिज्यिक वाहन कंपनियों में शुमार होने के लिए दक्षता बढ़ाएंगे, विस्तार और विकास करेंगे।'

एन चंद्रशेखरन
चेयरमैन, टाटा मोटर्स

शेयरधारकों के सवालों के जवाब में चंद्रशेखरन ने कहा कि प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए रकम का इंतजाम कर्ज और आंतरिक नकदी के जरिये किया जाएगा और कर्ज का भुगतान इवेको ग्रुप के भविष्य के नकदी प्रवाह से किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए इक्विटी में कोई कमी नहीं की जाएगी।

कंपनी को उम्मीद है कि यह अधिग्रहण वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही तक पूरा हो जाएगा, जो नियामक मंजूरियों पर निर्भर करेगा।

मारुति की 5 स्टार्टअप के साथ साझेदारी

मारुति सुजूकी इंडिया ने पांच स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य परिचालन दक्षता और ग्राहक अनुभव बेहतर बनाने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की पुरानी बैटरियों की रीसाइक्लिंग के लिए समाधान विकसित करना है। मारुति सुजूकी ने आज यह जानकारी दी। मारुति सुजूकी इनक्यूबेशन प्रोग्राम (एमएसआईपी) के पांचवें समूह के तहत चुनी गई ये पांच स्टार्टअप कंपनिया हैं - मिनीमाइन्स, ईजीवर्क एआई, सर्वम एआई, सिफ्टली और कोडमेट एआई। *बीएस*

जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
पंजीकृत कार्यालय : स्टर्लिंग सेंटर, 401–407, चतुर्थ तल, डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल के सामने, अंधेरी कुर्ला रोड, चकला, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400093 सीआईएन : L99999MH1992PLC066213
(माननीय एनसीएलटी, के दिनांक 26 नवंबर, 2024 के आदेश के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रही एक कंपनी)

ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 एवं उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत नोटिस

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनता को ई–नीलामी की सूचना दी जाती है, जिसमें **जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड** (परिसमापन में) **("कॉर्पोरेट देनदार")** के स्वामित्व वाली दो (2) आस्तियों (नीचे दी गई तालिका में वर्णित) की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जो कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा हैं। यह नीलामी दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 **("आईबीसी")** के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार, 'जैसा है, जहां है', 'जैसा है, जैसा है', 'जो कुछ भी है', 'बिना किसी सहारा के' आधार पर और बिना किसी प्रतिनिधित्व, वारंटी या क्षतिपूर्ति के की जा रही है।

यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफॉर्म BAANKNET (पूर्व में eBKray) के माध्यम से https://ibbi.baanknet.com ("ई–नीलामी प्लेटफॉर्म") पर, अन्य बातों के अलावा, IBBI (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32 और 30 जून, 2026 के परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन **("ASPM")** के अनुसार की जाएगी। सभी संभावित बिडर्स से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि सभी ग्राह्यता दस्तावेज और धरोहर राशि जमा एएसपीएम के क्लॉज 4 (ग्राह्यता दस्तावेज) में वर्णित दस्तावेज जमा की अपेक्षाओं के अनुसार ही जमा किए जाने चाहिए और केवल ई–नीलामी प्लेटफॉर्म पर ही जमा किए जाने चाहिए।

ई–नीलामी के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की अनुसूची

ई–निलामी प्लेटफॉर्म पर पात्रता दस्तावेज और धारा 29ए वचनपत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि एवं समय	**सोमवार, 20 जुलाई, 2026, शाम 5:00 बजे (UTC+5:30)**
ई–निलामी प्लेटफॉर्म पर धरोहर राशि (**'ईएमडी'**) जमा करने हेतु अंतिम तिथि और समय	**सोमवार, 20 जुलाई, 2026, शाम 6:00 बजे (UTC+5:30)**
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	**बुधवार, 22 जुलाई, 2026, प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (UTC+5:30)**
अंतिम बिक्री प्रतिफल के भुगतान हेतु अंतिम तिथि	**अधोहस्ताक्षरी द्वारा अंतिम बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए मांग पत्र जारी करने के साठ (60) दिन के भीतर**

क्र. सं.	संपत्ति विवरण	संपत्ति आईडी	निलामी आईडी	आरक्षित मूल्य* (रुपये में)	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	वृद्धिशील मूल्य
1	कैटरिंग और एडमिन – मील कार्ट	4275	4088	2,96,01,455	29,60,146	14,80,073
2	कैटरिंग और एडमिन इन्वेंट्री	4276	4089	90,70,601	9,07,060	4,53,530

स्थानः जेट एयरवेज हैंगर, एयर इंडिया रोड के पास, पी एंड टी कॉलोनी, वाकोला, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई – 400029

* करों, उप–करों, प्रभारों, शुल्कों, हस्तांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रीमियम और बिक्री पूरी करने के लिए सभी लागू आवश्यक खर्चों को छोड़कर, जिसका अधिक विशिष्ट वर्णन एएसपीएम के क्लॉज 19 (लागतें, खर्चे और कर अनिवार्यताएं) में किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई प्रतिनिधित्व, वारंटी और क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी (जैसाकि संबंधित एएसपीएम'स के व्याख्यायित किया गया है)।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

1. ऊपर बताई गई दो (2) संपत्तियों के लिए BAANKNET पोर्टल पर दो (2) अलग–अलग ई–ऑक्शन आयोजित किए जाएंगे।
2. यह बिक्री सूचना संबंधित एएसपीएम के साथ पढ़ी जाएगी, जिसमें परिसंपत्तियों का विवरण, घोषणाएं, शपथ पत्र और आईबीसी की धारा 29ए के तहत पात्रता के लिए वचनबद्धताएं, और 'ई–नीलामी बिक्री के सामान्य और तकनीकी नियम और शर्तें' शामिल हैं, जो https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/auc-listing पर BAANKNET पर उपरोक्त आस्ति और नीलामी आईडी'ज के समक्ष अथवा कार्पोरेट देनदार की वेबसाइट **www.jetairways.com** पर उपलब्ध हैं।
3. संभावित बोलीदाताओं को निर्धारित समय–सीमा के भीतर एसपीएम के क्लॉज 4 के अनुसार केवल ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपेक्षित पात्रता दस्तावेज और ईएमडी जमा करनी होगी तथा परिसमापक के पास नहीं।
4. ई–नीलामी प्लेटफार्म तथा दस्तावेज और ईएमडी जमा के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए संभावित बोलीदाताओं से BAANKNET से 91 8291220220 पर और support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।
5. ई–नीलामी के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया परिसमापक के अधिकृत प्रतिनिधि **श्री श्लोक नंदनपवार** (91–8208503693) से **jetliquidation@in.ey.com** और **liquidation.jet@gmail.com** पर **"जेट एयरवेज – मुंबई कैटरिंग"** सब्जेक्ट लाइन के साथ संपर्क करें। कृपया ध्यान दें कि ग्राह्यता दस्तावेज और बिड से जुड़ा कोई भी दस्तावेज परिसमापक, उनके प्रतिनिधि या उनके सलाहकार के पास जमा नहीं करना है।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सूचना बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए अधोहस्ताक्षरी या जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन में) की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व सृजित नहीं करती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा और सभी संभावित बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां और संबंधित एएसपीएम'स में दी गई परिसंपत्तियों का विवरण केवल सामान्य संदर्भ के लिए है। इंडेम्निफाइड पार्टीज़ (जैसा कि संबंधित एएसपीएम में बताया गया है) स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती हैं और परिसंपत्तियों के विवरण या दशा में किसी भी तरह की कमी/गलती/अंतर/गलतबयानी/चूक/बदलाव/कमी या गलती के लिए उनकी कोई देयता या ज़िम्मेदारी नहीं होगी, चाहे ऐसी गड़बड़ी ई–नीलामी के पूरा होने से पहले, उसके दौरान या बाद में पता चले। परिसंपत्तियों की बिक्री पूरी तरह से 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', 'जैसा है वैसा है' और 'कोई रिकोर्स नहीं' के आधार पर और बिना किसी प्रतिनिधित्व, वारंटी या क्षतिपूर्ति के की जा रही है।
8. अंतिम बिक्री प्रतिफल का भुगतान एएसपीएम के क्लॉज़ 15 (अंतिम बिक्री प्रतिफल का भुगतान) और 16 (बिक्री का पूरा होना) में बताई गई समयसीमा, ब्याज प्रावधानों और जब्ती की शर्तों के अधीन है।
9. परिसमापक, कॉरपोरेट देनदार की ऋणदाता समिति की सलाह के अनुसार, लागू विधि के अंतर्गत अन्यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी कारण का उल्लेख किए बिना ई–नीलामी प्रक्रिया को किसी भी चरण पर निरस्त अथवा स्थगित/समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ता./–
सतीश कुमार गुप्ता
जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के परिसमापक
IP पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00023/2016-17/10056
एएफए नंबर – AA1/10056/02/311226/108454
एएफए वैधता : 31 दिसम्बर, 2026 तक
ईमेल – **liquidation.jet@gmail.com**

दिनांक : 30.06.2026
स्थान : मुंबई

14 साल पुराने मामले में दवा फर्मों–संगठनों को क्लीन चिट

रुचिका चित्रवंशी और सोहिनी दास
पणजी/मुंबई, 29 जून

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 14 साल पुराने एक मामले में दवा कंपनियों और उद्योग संगठनों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा कि स्टॉकिस्ट की नियुक्ति और नई दवाओं की लॉन्चिंग से जुड़े मामलों में प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते या गतिविधियों के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं।

सोमवार को जारी आदेश में सीसीआई ने अपने जांच प्रकोष्ठ के महानिदेशक (डीजी) की उस रिपोर्ट से असहमति जताई, जिसमें संबंधित पक्षों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के उल्लंघन का दोषी माना गया था। आयोग ने अपने आदेश में कहा, 'रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी भी पक्ष के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन का मामला नहीं बनता।'

यह मामला वर्ष 2012 में ऑल इंडिया केमिस्ट्स ऐंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एआईसीडीएफ) की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स ऐंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी), उससे जुड़े संगठन, उद्योग निकाय और 20 से अधिक दवा कंपनियां स्टॉकिस्टों की नियुक्ति, नई दवाओं की लॉन्चिंग, व्यापारिक मार्जिन तय करने और आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने जैसी प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों में शामिल थीं।

शिकायत के अनुसार, दवा कंपनियों को नए स्टॉकिस्ट नियुक्त करने से पहले सहयोग पत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना पड़ता था। नई दवा बाजार में उतारने से पहले उत्पाद सूचना सेवा (पीआईएस) की मंजूरी लेनी होती थी और केमिस्ट संगठनों के साथ हुए समझौतों के तहत तय व्यापारिक मार्जिन का पालन करना पड़ता था। आरोप था कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही थी।

सीसीआई ने फरवरी 2012 में प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर 2012 में रोक लगाए जाने के कारण जांच करीब एक दशक तक लंबित रही।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है:

सरकारी ई-मार्केट पोर्टल - बैंक के डिजास्टर रिकवरी डेटासेंटर साइट के लिए को-होस्टिंग मॉडल पर आधारित कोलोकेशनडेटा सेंटर सेवा प्रदाता का चयन

बोली सं: - जीईएम/2026/बी/7708010 दिनांक 24.06.2026

उपर्युक्त निविदा के लिए जीईएम दस्तावेज उल्लिखित वेबसाइटों पर **www.iob.bank.in** एवं **www.gem.gov.in** उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट **www.gem.gov.in** का संदर्भ लेते रहें।

प्रोसस का राजस्व बढ़ा

डच प्रौद्योगिकी निवेशक प्रोसस के भारतीय कारोबार ने वित्त वर्ष 26 में 78.1 करोड़ डॉलर का राजस्व दर्ज किया। पिछले साल के मुकाबले इसमें 13 प्रतिशत का इजाफा हुआ। यह वृद्धि इसकी फिनटेक शाखा पेयू के बेहतर लाभ और इसके निवेश पोर्टफोलियो में लगातार हो रहे विस्तार की वजह से हुई। *बीएस*

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
कॉरपोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई – 400021
सूचना

शेयरधारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि एसबीआई के शेयर का अंकित मूल्य रु. 10 से विभक्त करके रु. 1 करने की प्रक्रिया में बैंक द्वारा जारी शेयर प्रमाण–पत्र, जिनका अंकित मूल्य रु. 10 है, दिनांक 22 नवंबर 2014 से प्रभावी होकर अमान्य हो गए हैं. इस संबंध में दिनांक 05.11.2014 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी. तदनुसार, सभी उद्देश्यों से, इस सूचना में दिए गए शेयरों के विवरण रु. 1 अंकित मूल्य के शेयर प्रमाण–पत्रों के हैं. एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की निम्न उल्लेखित प्रतिभूतियों के लिए शेयर प्रमाण–पत्र पंजीकृत धारक/धारकों से उक्त शेयर की नियत अवधि में उपयुक्त रूप से पूर्णकृत अंतरण अनुबंध(धों) के साथ/बिना गुम/खो गए हैं और उन्होंने बैंक को उनके नाम से डुप्लिकेट शेयर प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है. कोई भी व्यक्ति जिसका उक्त शेयर के संबंध में कोई दावा है, उसे ऐसा कोई भी दावा बैंक के इश्यू के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना – 500 032, (ई–मेल आईडी: **einward.ris@kfintech.com**) पर इस तिथि से 7 दिनों के भीतर के पास दर्ज करवाना चाहिए, अन्यथा, बैंक द्वारा किसी भी आगामी सूचना के बिना, डुप्लिकेट शेयर प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी.

भारतीय स्टेट बैंक

क्र. सं.	फोलियो सं.	धारक(कों) का नाम	शेयरों की संख्या	प्रमाणपत्र संख्या		विशिष्ट संख्या	
				से	तक	से	तक
1	03116832	आशिष देवान	1000	213192	213192	7454179851	7454180850

उपरोक्त आँकड़े स्टॉक विभक्ति के परिणामस्वरूप रु. 1/- के अंकित मूल्य के वर्तमान शेयरों के विवरण प्रस्तुत करते हैं (रिकॉर्ड दिनांक 21.11.2014).

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30.06.2026
शेयरों की संख्या: **1000**
प्रमाण पत्रों की संख्या: **1**
महाप्रबंधक
(शेयर एवं बांड)

सवाल जवाब

11 हजार मेगावॉट की पंप स्टोरेज क्षमता की योजना

हिंदुजा समूह की कंपनी हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी तेजी से विस्तार की योजना पर काम कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) दीपक ठाकुर ने नंदिनी केशरी और सुधीर पाल सिंह को एक साक्षात्कार में बताया कि कंपनी का लक्ष्य अगले चार वर्षों में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को 10 गुना बढ़ाना है। बातचीत के खास अंश ...

हिंदुजा रिन्यूएबल्स की बड़ी क्षमता विस्तार योजना क्या है?

वर्तमान में कंपनी की 1,100 मेगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता चालू है। इसके अलावा 1,900 मेगावॉट की परियोजनाएं निर्माण और विकास के चरण में हैं। इनमें से लगभग 1,500 मेगावॉट की परियोजनाएं इसी वित्त वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही, 400 मेगावॉट क्षमता की शुरुआत अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में हो –जाने की संभावना है। कंपनी 2,500–3,000 मेगावॉट की पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर तकनीकी अध्ययन और मूल्यांकन कर रही है। भारत अब केवल सौर ऊर्जा तक सीमित नहीं है बल्कि ऊर्जा परिवर्तन के अगले दौर में प्रवेश कर रहा है। इसे देखते हुए हिंदुजा रिन्यूएबल्स भी अपने कारोबार का विस्तार पवन ऊर्जा, सौर-पवन ऊर्जा की हाइब्रिड परियोजनाएं, बैटरी ऊर्जा भंडारण, पंप स्टोरेज और डिजिटल एसेट ऑप्टिमाइजेशन जैसे क्षेत्रों में कर रही है। इन क्षमताओं का विकास आंतरिक तौर पर दीर्घावधि की रणनीति के तहत किया जा रहा है। हमारा मानना है कि बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा को सफल बनाने के लिए मजबूत ऊर्जा भंडारण व्यवस्था जरूरी है।

कंपनी गुजरात में अपनी पहली सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना लगा रही है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) में प्रवेश कर रही है। इसके अलावा कई राज्यों में 11,000 मेगावॉट की पम्प्ड स्टोरेज क्षमता विकसित करने की पहल शुरू की गई है। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी कुल क्षमता 10 गीगावॉट तक बढ़ाना है। स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) के रूप में कंपनी का उद्देश्य अपने बिजली संयंत्रों को लगभग 25 वर्षों तक प्रभावी ढंग से संचालित करना है।

योजनाबद्ध क्षमता में पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी होगी?

फिलहाल कंपनी का अधिकांश पोर्टफोलियो सौर ऊर्जा पर आधारित है। हालांकि, कंपनी गुजरात में 150 मेगावॉट की पहली सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना लगा रही है। यह एक बड़े स्तर की परियोजना है और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी का पहला उल्लेखनीय कदम है। बढ़ती हुई हाइब्रिड परियोजनाओं, फर्म ऐंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) और चौबीस घंटे बिजली के समाधान के लिए पवन ऊर्जा का महत्त्व फिर से बढ़ रहा है। कंपनी एक ही स्थान पर स्थापित परियोजनाओं पर ध्यान दे रही है क्योंकि इससे मौजूदा ट्रांसमिशन नेटवर्क का बेहतर उपयोग होता है और बिजली उत्पादन में उतार-चढ़ाव को संभालना आसान हो जाता है।

पंप स्टोरेज परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

पंप स्टोरेज परियोजनाएं कंपनी की विकास रणनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगले दो वर्षों में कंपनी के लगभग 3 गीगावॉट के अधिकतम परिचालन पोर्टफोलियो में पंप स्टोरेज भी विकास का प्रमुख इंजन बनेगा। हमने असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड की सरकारों के साथ समझौता किया है। इन राज्यों में 2,500–3,000 मेगावॉट की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनने के बाद और साइट के हिसाब से इन आंकड़ों में कुछ बदलाव हो सकता है। एक डीपीआर तैयार करने में लगभग 1 वर्ष लगता है। इसके बाद परियोजना के निर्माण में 2.5 से 3 वर्ष का समय लगता है। कुछ कठिन परियोजनाओं में यह अवधि 4 वर्ष तक भी हो सकती है। एक परियोजना की डीपीआर अंतिम चरण में है और दूसरी इस वर्ष के अंत तक स्पष्ट हो जाएगी। कई परियोजनाओं पर एक साथ काम किया जा रहा है ताकि पहली परियोजना सफलता के साथ शुरू हो जाए तो बाकी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके।

**हाल में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से खरीद लागत पर क्या असर पड़